न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 152/2019

अनवान :

1. खलीलखान पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. नेकमोहम्मद पुत्र कबुलखान जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. याकुब
3. अलीहुसैन
4. आलमगिर
5. जमशेद
6. जमीलखान
7. आबीदखान
8. परवीना
9. जरीना
10. तनीज

पुत्र/पुत्रियां नेकमोहम्मद जाति चायल निवासीगण करनपुरा तहसील भादरा।

11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री विनोद पूनियां : **वादी**

वकील श्री सतवीर बैनीवाल : **प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10**

निर्णय **दिनांक :** 16.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 59/54 के मु0नं0 41 के किला नं0 11, 12, 19 ता 21 मु0नं0 42 के किला नं0 14 ता 16 व 25 कुल 2.277 है0 नहरी मय रास्ता की खातेदारी प्रतिवादी नेकमोम्मद के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एमएसआर के खाता सं0 58/49 के मु0नं0 19 के किला नं0 22 व 23, मु0नं0 20 के किला नं0 1 ता 3, 9 ता 20, मु0नं0 21 के किला नं0 14, 15/2 कुल 4.718 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी प्रतिवादी नेकमोहम्मद के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 10 एमएसआर के ही खाता सं0 59/136 के मु0नं0 21 के किला नं0 15/1 की 0.089 है0 नहरी प्रतिवादी नेकमोहम्मद के नाम से खातेदारी दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 के पूर्वज हिन्दू हुआ करते थे तथा बाद में मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लिया था। वादी एवं प्रतिवादीगण में पुराने हिन्दु संस्कार एवं रश्म रिवाज आदि वादी एंव प्रतिवादीगण के परिवार एवं उनके समाज में

16.8.19

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बदस्तुर जारी है। वादी एवं प्रतिवादीगण परिवार गोगामेडी में गोगाजी के मन्दिर में पुजारी के रूप में काम करते आ रहे है व गोगाजी की हिन्दू रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना करते आ रहे है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण परिवार में हिन्दू संस्कारों के अनुसार ही शादी मर्ग आदि करते आ रहे है।

वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद है तथा वादभूमि पहले वादी के दादा कबुलखान की खातेदारी हुआ करती थी तथा उक्त खातेदारी में से 6 किला संयुक्त परिवार की आय आमदनी से भी खरीदशुदा है जो प्रतिवादी नेकमोहम्मद कर्ता खानदान होने के चलते उसके नाम से दर्ज करवा दी गई थी एवं कबुलखान के नाम दर्ज खातेदारी जो कबुलखान के देहान्त होने पर प्रतिवादी नेकमोहम्मद के नाम महज कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन दर्ज करवा ली थी। इस प्रकार वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है

वाद भूमि की बाबत वादी एंव प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट भी हो गया है जिसमें वादभूमि जो प्रतिवादी नेकमोहम्मद के नाम से दर्ज है उसमें चक 8 एमएसआर के वर्तमान खाता सं0 59/54 के मु0नं0 41 के किला नं0 11, 12, 19 ता 21, मु0नं0 42 के किला नं0 14 ता 16 व 25 कुल 2.277 है0 नहरी मय रास्ता की तथा चक 10 एमएसआर के खाता सं0 58/49 के मु0नं0 20 के किला नं0 10 ता 20, मु0नं0 21 के किला नं0 14, 15/2 कुल 3.200 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी व चक 10 एमएसआर के ही खाता सं0 59/136 के मु0नं0 21 के किला नं0 15/1 की 0.089 है0 नहरी जो प्रतिवादी नेकमोहम्मद के नाम से खातेदारी दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 10 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी जिसमें प्रतिवादी सं0 8 ता 10 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 2 ता 7 के पक्ष में बहिसस बराबर के अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शून्य कर लिया था जिस पर उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार प्राप्त हो गई थी तथा चक 10 एमएसआर के मु0नं0 19 के किला नं0 22 व 23, मु0नं0 20 के किला नं0 1 ता 3 व 9 की कृषि भूमि प्रतिवादी नेक मोहम्मद के हिस्सा में आ गई। इस अनुसार वादभूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 की कब्जा काश्त चली आ रही है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कुल वादभूमि आज भी तन्हा प्रतिवादी नेकमोहम्मद के नाम से दर्ज चली आ रही है जिससे वादी के खातेदारी हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 ने इकबालदावे पेश किये। प्रतिवादी सं0 10 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 खलीलखान पुत्र नेकमोहम्मद के सशपथ बयान करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 59/54 सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी चक 10 एमएसआर के खाता संख्या 58/49, 59/136 सम्वत् 2073–76 की प्रदर्श 2, 3 व फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 8 मुन्सरी सम्वत् 2044 प्रदर्श 4, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी ग्राम 10 एमएसआर सम्वत् 2049 प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 के पूर्वज हिन्दू हुआ करते थे तथा बाद में मुस्लिम धर्म परिवर्तन कर लिया था। वादी एवं प्रतिवादीगण के परिवारों में पुराने हिन्दू संस्कार एवं रश्म रिवाज आदि बदस्तुर जारी है वे गोगामेडी के गोगाजी मंदिर में पुजारी के रूप में हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार पूजा अर्चना करते आ रहे है। वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है। इस प्रकार वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

16-8-17

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमने वकील अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद में वादी ने चक 8 व 10 एमएसआर के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि मे अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। चूंकि दावा में वादी ने अपने आपको मुसलिम धर्म का मानते हुए भी हिन्दू रिति रिवाज के मानने व हिन्दू रिति से शासित होने के कथन किये है। वस्तुत : पक्षकार मुसलिम धर्म के व्यक्ति है वादी ने अपने दावा में पूर्व में हिन्दू होने व अपने आपको धर्म परिवर्तन कर मुसलिम होना स्वीकार किया है, किन्तु जब वादी मुसलिम धर्म से संबंधित है तो वे स्वाभाविक रूप से मुसलिम विधि से शासित होते है।

हस्तगत दावा में वादी ने विवादित भूमि को पुस्तैनी व दादालाई होने का कथन कर अपने अधिकारों की घोषणा चाही है जबकि पक्षकारान मुसलिम है तथा **मुसलिम विधि में पिता के जीवन काल में पुत्र/पुत्रियों** का उसकी कृषि भूमि में हिस्सा होना कहीं भी उपबंधित नहीं है, इसलिए मुसलिम विधि में वादी के पक्ष में पिता के जीवनकाल में खातेदारी में अधिकारों की घोषणा की कोई अवधारणा नहीं है तथा ना ही वादी ने उस संबंध में कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश कर किसी विधि के किसी निर्देश से न्यायालय को अवगत कराया है एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से वादी का दावा साबित होना नहीं पाया जाता है। इस प्रकार वादी अपने दावा को साबित करने में असफल रहा है।

अत : वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 152/2019

अनवान :

1. खलीलखान पुत्र नेकमोहम्मद जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम

1. नेकमोहम्मद पुत्र कबुलखान जाति चायल निवासी करनपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. याकुब
3. अलीहुसैन
4. आलमगिर
5. जमशेद
6. जमीलखान
7. आबीदखान
8. परवीना
9. जरीना
10. तनीज

   पुत्र/पुत्रियां नेकमोहम्मद जाति चायल निवासीगण करनपुरा तहसील भादरा।

11. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पूनियां एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 10 श्री सतवीर बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु उपस्थित होने पर एवं वाद वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

16.8.19

(सुखाराम पिण्डेल) जस्व)
भादरा (जि. हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़